

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(2)नविवि/3/84

जयपुर, दिनांक: 4 AUG 2021

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22.06.2020 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित सरदार शहर मास्टर प्लान-2016 की समयावधि दिनांक 30.06.2020 को समाप्त हो चुकी है, को एतद्वारा दिनांक 31.12.2021 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05.09.1984 के द्वारा अधिसूचित "सरदार शहर नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

— १२ —

(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, चूरु।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सरदार शहर।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ५/११/२१ में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


3/8/2021

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय